राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :– एफ 7(2) ( ) राछा./सान्याअवि/17/ 25812 जयपुर, दिनांक: 15.5.2017

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरंभ

1.**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों /आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा–निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http:// sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

2.आवेदन प्रक्रियाः–

1.विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र **sso.rajasthan.gov.in** के माध्यम से ~~(SJMS.Rajasthan.gov.in) के आमंत्रित किये जायेगें।~~

2.छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदित नवीन विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु ई–मित्र, कियोस्क,साइबर कैफे, निजी इटरनेट आदि के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

3.एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों के लिये ऑन लाईन कर सकेगा।

3.प्रवेश हेतु पात्रताः–

1.आवेदन हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 7 वर्ष एवं गत परीक्षा में उत्त्तीण होना आवश्यक।

4.प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज–ई.मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर/यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण–पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण–पत्र, बीपीएल प्रमाण–पत्र (केवल बीपीएल के लिये), निःशक्तता प्रमाण–पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये), आय प्रमाण–पत्र (गैर बीपीएल हैतु), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र (विधवा आवेदकों के लिये),राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण–पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालको के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण–पत्र (केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये)।

- उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी।
- स्कैन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑन लाईन करनी होगी।
- फाईल का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिये।
- पूर्व में प्रवेशित उत्तीण विद्यार्थियों की गत परीक्षा की अंकतालिका **sso.rajasthan.gov.in** पोर्टल पर छात्रावास अधीक्षकों द्वारा अपलोड करनी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को सत्र 2017–18 के लिये पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.प्रवेश हेतु नियत समयावधिः–प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन 20 मई, 2017 से ऑनलाईन पोर्टल पर आरंभ किया जावेगा तथा प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30 जून, 2017 तक किया जा सकेगा

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

D:\work\Press Note For Admisson.docx